

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/71/2017-1/34/2017

लेखनक: दिनांक १९ सितम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में केन्द्रांश रु० 149.51 लाख व राज्यांश रु० 99.67 लाख की कुल धनराशि रु० 249.18 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-79/2017/2059/33-3-2017-100(19)/2015 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 (प्रति सलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-81 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रु० 2500.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रु० 149.51 लाख व राज्यांश रु० 99.67 लाख की कुल धनराशि रु० 249.18 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख अद्वारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं०-३९/२०१७/६२१/३३-३-२०१७-१००(१९)/२०१५ दिनांक ०३ मई, २०१७ के द्वारा रु०-३४६.६४ लाख तथा शासनादेश संख्या-७३/२०१७/१७६३/३३-३-२०१७-१००(१९)/२०१५ दिनांक २८ अगस्त, २०१७ के द्वारा रु०-४४०.३७ लाख पूर्व में जारी की जा चुकी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु० 249.18 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख अद्वारह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

(६)

१-आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप सं०-१/२०१७/बी-१-०२/दस-२०१७-२३१/२०१७ दिनांक ०२ जनवरी, २०१७ शासनादेश सं०-३/२०१७/बी-१-३४८/दस-२०१७-२३१/२०१७, दिनांक २० मार्च २०१७ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

२०१७/१०४६
२०१७/१०५६

२-उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

३-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

४-प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थियों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

५-इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाये परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

६-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लेखनक में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन (SSM) के नाम से खाले गये खाता संख्या-५२१३०२०१०६००३४, आई०एफ०एस०सी० कोड य०बी०आई०एन-०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

7-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8-उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीषक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-0201-स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के०६०/रा०४०-के०+रा०)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

10-शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुमान द्वारा जारी शासनादेश संख्या-रीए-934/दस-2008-ग्री-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण सिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-४ पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12-उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-90 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/७१/१/२०१७.उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार रथानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- उप निदेशक(पं०)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 8- एस०पी०एस०य०० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।